

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
सिंचाई प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

E-mail ID- irrigationdivbiharsharif@gmail.com

Phone No. 7463889411


पत्रांक:- .....

बिहारशरीफ,

दिनांक:- ..... / ..... / 2022

सेवा में,

श्री अरविन्दर सिंह, भा0व0से0,  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)  
बिहार, पटना।



विषय:-

नालंदा जिलान्तर्गत गंगा जल उद्वह योजना के तहत गिरियक अंचल के मौजा घोड़ा कटोरा में पेय जलापूर्ति के लिये Reservoir के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 36.04251 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति से संबंधित अनुपालन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:-

भवदीय का ज्ञापांक 998 दिनांक 12.11.2021, ज्ञापांक 552 दिनांक 26.06.2020, ज्ञापांक 483 दिनांक 08.06.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय के ज्ञापांक 998 दिनांक 12.11.2021 के अनुपालन में भवदीय पत्रांक 552 दिनांक 26.06.2020 में उल्लेखित कण्डिका 1 से 17 में अधिरोपित शर्तों का कण्डिकावार अनुपालन प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु सादर समर्पित किया जाता है भवदीय से अनुरोध है कि विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

६०।

कार्यपालक अभियंता  
सिंचाई प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

पत्रांक:-.....106..... बिहारशरीफ,

दिनांक:- 20/01/2022

प्रतिलिपि:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।


कार्यपालक अभियंता  
सिंचाई प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

Jointwise Compliance on condition and Stipulations required vide Letter No.- FP/BR/Water/44592/2020/3888 Dated 04.04.2020 of Regional Office (Ranchi), Ministry of Environment, Forest & Climate Change, GOI for Proposed diversion of 36.04251 ha forest land for Earthen Water Storage Reservoir between Ghora Katora Lake and Panchane River in Favour of Water Resource Department (Irrigation Division) in Nalanda District of Bihar under Ganga Water Lift Project.

1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	Agreed
2	<b>Compensatory afforestation:-</b>	
	a) Non-forest land (equivalent in area to the area of forest land to be diverted) for compensatory afforestation identified to the satisfactory acceptance by the state forest department shall be transferred and mutated in the name of state forest department and notified as RF/PF prior to final (Stage -II) approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 will be furnished prior to Stage-II approval.	Equivalent non-forest land has been transferred and mutated as required. Copy of corresponding notifications attached.
	b. compensatory afforestation shall be taken up by the state forest department over the transferred equivalent non-forest land mentioned in (a) here above at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local native species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	Agreed. The cost as required against CA has been deposited and corresponding UTR has been submitted vide this office letter No. 1588 dated 13.11.2020. Fencing of land as required has also been done.
	c. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars as required on the CA land shall be deposited in advance with the forest department by the project authority. In case of the CA land being in isolated patches of relatively small sizes and embedded in non-forest areas, The CA scheme shall also include provision for appropriately strengthened fencing as required to ensure long-term protection against encroachment etc. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years. The final CA scheme along with CA land suitability certificate and geo-referenced map should be made available to this office before the issuance of Stage-II approval order.	
3	<b>NPV:</b>	
	a) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 36.04251 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1 /1998-FC (Pt.-II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in regard.	Agreed. The cost as required against NPV has been deposited and corresponding UTR has been submitted vide this office letter No. 1588 dated 13.11.2020.

	b) additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency furnished an undertaking to this effect.	Agreed
4	All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred/deposited in the CAMPA fund only through e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ).	Agreed and deposited as per instruction.
5	Of the enumerated 280 trees to be removed from the forest land to be diverted, 78 trees will be translocated and 202 trees will be filled under the strict supervision of the State Forest Department at the cost of User Agency, and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department in advance.	Agreed.
6	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificated from the concerned District Collector.	Agreed and Submitted.
7	Wherever possible and technically feasible, the User Agency- Water Resources Department shall undertake appropriate afforestation measures all around the project site related to this approval, in consultation with the State Forest Department, at the project cost.	Agreed. Provision of Landscaping outside the Reservoir has also been made.
8	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	Agreed. The boundary of the diverted forest land has been demarcated as per direction.
9	The layout plan of the proposed diversion of the forest land shall not be changed without prior approval of Central Government.	Agreed.
10	During construction of the reservoir and maintenance operations etc. the following restrictions shall be complied with: (a) No additional or new path or road etc. will be constructed inside the adjoining forest areas for transportation or other uses for the project. (b) No labour camp shall be established on the forest lands adjacent to the proposed diversion site; (c) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	Agreed.
11	Subject to performance of the main functions of the storage reservoir for drinking water supply, The Nalanda Forest Division should be benefitted under permission and regulation of the Water Resources Department to make use of the dispensable quantity of water in the reservoir for forest and wildlife purposes in the adjoining forests and the Rajgir Wildlife Sanctuary.	Agreed.
12	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life (Storage Reservoir for Drinking Water Supply Scheme).	Agreed.
13	a) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. b) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of the Central Government.	Agreed.


	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	Not applicable as this is a drinking water project.
15	Violation of any these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken per the MoEF&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dated 29/01/2018.	Agreed.
16	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest and wildlife.	Agreed.
17	The compliance report shall be upload on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ).	Agreed.

  
20/1/22  
कार्यपालक अभियंता  
सिंचाई प्रमंडल, बिहार शरीफ

## Undertaking

I do hereby to undertake to bear the cost of additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee.

Date: 19:01:2022  
Place: Biharsharif

  
कार्यपालक अभियंता  
सिवाजी नगर, बिहार शरीफ  
(Signature and stamp of the user agency)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOG CAMPA

Date : 15-07-2020

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER IRRIGATION DIVISION BIHARSHARIF
Application No.	8344892523
MoEF/SG File No.	FP/BR/WATER/44592/2020
Location.	BIHAR
Address.	Executive Engineer Irrigation Division Biharsharif/Nalanda
Amount(In Rs)	46056300/-

Amount in Words : Four Crore Sixty Lakh Fifty-Six Thousand Three Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	COIN0000371
Pay to Account No.:	5002534492523
BANK TRANSFER	
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11 CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
INITIAL	<i>[Signature]</i>
CHEQUE No.	
Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

After making successful payment, User Agencies may s  
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

*CA &  
No 159332  
By  
20/7/20*

कायपालक अभियंता  
सिंचाई प्रमंडल, बिहार शरीफ

UTR - SBINRS2020072300103002

*[Circular Stamp]*  
*20/7/2020*

-2021

बिहार सरकार

77

नालन्दा समाहरणाधिकार एवं भूमि सुधार विभाग

जाप सं०-08/नालन्दा-38/2020

(6)/रा०, पटना-15, दिनांक-

31 AUG 2021

सेवा में,

मुहर लगाने के लिए खासदार, बिहार (लेखा एवं हकदारी), कर्मी का कार्यालय, पटना।



द्वारा :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-06.08.2021 के मद संख्या-06 में दी गई स्वीकृति के आलोक में गंगा जल उद्वह योजना के तहत पेय जलापूर्ति के लिए Reservoir निर्माण हेतु वन विभाग की अधिग्रहित भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि के अंश भाग नालन्दा जिलान्तर्गत अंचल-सिलाव के मौजा-नानन्द, थाना नं०-440, खाता नं०-727, खेसरा नं०-921 के अन्तर्गत कुल रकबा-19.75 एकड़ गैरमजबूत मालिक किस्म परती कदीम भूमि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

- स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जाएगी।
- अन्य शर्तें खास नहाल मैनुअल के प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत मान्य होंगी।
- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-  
(मनोज कुमार झा),  
उप सचिव।

जाप सं०-08/खा० न० नालन्दा-38/2020-966 (6)/रा०, पटना-15, दिनांक 21-08-2021  
प्रतिलिपि:-समाहर्ता, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मूल अनिलेख सं०-01/2019-20 को संलग्न कर लौटाया जा रहा है।

(मनोज कुमार झा),  
उप सचिव।

जाप सं० 98/11 रा दिनांक 06/9/2021

प्रतिलिपि :- अ. अ. विभाग को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। इस पत्र के साथ अतिरिक्त सं० 01/19-20 मूल में संलग्न की जाती है।

प्रतिलिपि :- कार्य. अभियंता, सिविल इंजिनियरिंग, बिहार प्रोवि. इंजिनियरिंग, पटना/सि. इंजिनियरिंग, उपसहायकी राजीव एवं वन प्रमंडल परामर्शिका, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहार प्रोवि. को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Free  
12/09/2021

पत्र सं० 1857  
dt 13-9-21

16/9/21

SDD-1  
13/9

बधित

211

कार्यालय: वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ

ज्ञापांक ..... 4665 ..... दिनांक 13/09/2021

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बिहारशरीफ को अपर समाहर्ता, नालन्दा के ज्ञापांक 2811 दिनांक 06.09.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। नालन्दा जिलान्तर्गत अंचल-सिलाव के मौजा-नानन्द, थाना नं०-440, खाता संख्या-727, खेसरा सं०-921 के अन्तर्गत कुल रकवा 19.75 एकड़ गैर मजरुआ मालिक, किस्म-परती कदिम भूमि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को स्थानान्तरण की स्वीकृति के आलोक में उक्त भूमि विवाद रहित, अतिक्रमण मुक्त कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में दाखिल-खारिज (Mutation) करते हुए अंचलाधिकारी, ~~बिहार~~ से अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त कर अबिलम्ब समर्पित करने का कृपा करें।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

13/9/21



बिहार सरकार  
बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

13/08/20

जमाबंदी पंजी प्रति

भाग वर्तमान : 1	पृष्ठ संख्या : 84	जमाबन्दी संख्या : 695
जिला का नाम : Kishanganj	अनुमंडल नाम : Kishanganj	अंचल का नाम : Dighalbank
मौजा का नाम : लोहागाड़ा	होलिंग संख्या : N/A	तौजी संख्या : 0
		हलका का नाम : लोहागाड़ा
		थाना नंबर : 82

पर्यावरण एवं वन विभाग, पिता/बाप/अबू-बिहार पटना,  
जाति- N/A

खाता सं०	प्लॉट/खेसरा सं०	रकबा	चौहद्दी	परिवर्तन के लिए प्राधिकार	लगान
55	58	39 ए 96 डि 0 हे	पू०: प०: उ०: द०:	भू हस्तांतरण अभिलेख संख्या- 09/2012-13 द्वारा सृजित	400 0
	कुल परिमाण	39 ए 96 डि 0 हे			

अंतिम लगान का विवरण

तारीख	प्राप्ति पत्र सं०	साल से	साल तक	लागत बकाया
		2012	2013	0

उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल खारिज का विवरण

Mutation Cases Not Found !!

ह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है  
ह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है  
सका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है  
हैसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करे  
गाट का नक्शा देखने के लिए प्लॉट नंबर क्लिक करे।



बिहार सरकार  
बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

13/08/2021

जमाबंदी पंजी प्रति

भाग वर्तमान : 1	पृष्ठ संख्या : 1230	जमाबन्दी संख्या : 2582
जिला का नाम : Kishanganj	अनुमंडल नाम : Kishanganj	अंचल का नाम : Dighalbank
मौजा का नाम : लोहा गाड़ा	होल्डिंग संख्या : N/A	तौजी संख्या : 0
		हलका का नाम : लोहागाड़ा
		थाना नंबर : 84

पर्यावरण एवं वन विभाग , पिता/बाप/अबू -बिहार पटना ,  
जाति- N/A

खाता सं०	प्लॉट/खेसरा सं०	रकबा	चौहद्दी	परिवर्तन के लिए प्राधिकार	लगान	से
318	1593	13 ए 12 डि 0 हे	पू: पः उः दः	भू हस्तांतरण अभिलेख संख्या- 09/2012-13 द्वारा सृजित	310	0
	1595	17 ए 81 डि 0 हे	पू: पः उः दः			
	कुल परिमाण	30 ए 93 डि 0 हे				

भूतिम लगान का विवरण

तारीख	प्राप्ति पत्र सं०	साल से	साल तक	लागत बकाया
		2012	2013	0

उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल खारिज का विवरण

Mutation Cases Not Found !!

इ एक कम्प्युटर जनित प्रति है  
इ प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है  
सका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है  
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करे  
प्लॉट का नक्शा देखने के लिए प्लॉट नंबर क्लिक करे।



बिहार सरकार  
बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
जमाबंदी पंजी प्रति

13/08/20

भाग वर्तमान : 1	पृष्ठ संख्या : 210	जमाबन्दी संख्या : 412
जिला का नाम : Kishanganj	अनुमंडल नाम : Kishanganj	अंचल का नाम : Terrhagachh
मौजा का नाम : चिचौड़ा	होलिग संख्या : N/A	तौजी संख्या : 0
		हलका का नाम : KHANIYABAD
		धाना नंबर : 78

चिचौर जंगल वन विभाग , पिता/बाप/अबू -बिहार सरकार,  
जाति- N/A

खाता सं०	प्लॉट/खेसरा सं०	रकबा	चौहद्दी	परिवर्तन के लिए प्राधिकार	लगान
96	397	7 ए 97 डि 0 हे	पूः पः उः दः	n/a	0
	390	67 ए 91 डि 0 हे	पूः पः उः दः		
	कुल परिमाण	75 ए 88 डि 0 हे			

ऑनलाइन लगान का विवरण

तारीख	प्राप्ति पत्र सं०	साल से	साल तक	लागत बकाया
-------	-------------------	--------	--------	------------

उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल खारिज का विवरण

Mutation Cases Not Found !!

इह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है  
इह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है  
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है  
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें  
लाट का नक्शा देखने के लिए प्लॉट नंबर क्लिक करें।



24/08/21

बिहार सरकार  
बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
जमाबंदी पंजी प्रति

भाग वर्तमान : 2	पृष्ठ संख्या : 277	जमाबंदी संख्या : 277	हलका का नाम : रैतर,
जिला का नाम : Nalanda	अनुमंडल नाम : Rajgir	अंचल का नाम : Giriyak	थाना नंबर : 348
गौजा का नाम : महम्मदपुर	होलिंग संख्या : 0	तौजी संख्या : 0	

1. पर्यावरण एबम जलवायु परिवर्तन बिभाग, बिहार, मान्य  
हिं-8, जाति- N/A

## परिवर्तन के लिए प्राधिकार

ता	प्लॉट/ खेसरा सं०	रकबा	चौहद्दी	परिवर्तन के लिए प्राधिकार
25	16 ए 0 डि 0 हे	पू: मः उः दः	अंचला धिकारी गिरियक के आदेशानुसार रा० एबम भूमि सुधार बिभाग के ज्ञापक संख्या- 6/ ख० म० / नालन्दा - 45/2020 -798 (6)/ रा0 दिनाक 27.7.2021 वन एबम पर्यावरण एबम जलवायु परिवर्तन बिभाग के ज्ञापक संख्या- 582 ई 0 दिनाक 30.7.2021 के आलोक में जमाबंदी कायम किया गया। प्रसंग वन प्रमंडल पदाधिकारी नालन्दा बिहारशरीफ के पत्राक 3813 दिनाक 2.8.2021 कार्यपालक अभियंता सिचाई प्रमंडल बिहार शरीफ के पत्राक 1605 दिनाक 11.8.2021	
कुल	16 ए 0 डि 0 हे			

तेम लगान का विवरण	प्राप्ति पत्र सं०	साल से	साल तक	लागत बकाया
तारीख				

शुद्ध जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल खारिज का विवरण

Mutation Cases Not Found !!

एक कम्प्युटर जनित प्रति है  
प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है  
का उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष के रूप में नहीं किया जा सकता है  
नी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें  
का नक्शा देखने के लिए प्लॉट नंबर बिलक करें

②

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

जापांक-06/खा0 म0 नालन्दा-45/2020

(6)/रा0, पटना-15, दिनांक-

मन्त्रीपरिषद्  
रूप में  
परामर्शित

महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हकदारी),  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।



आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।



मन्त्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-02.07.2021 के मद संख्या-09 में दी गई स्वीकृति के आलोक में मंगा जल उद्वह योजना के तहत पेय जलापूर्ति के लिए Reservoir निर्माण हेतु वन विभाग की अधिग्रहित भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि के अंश भाग नं0-69, खेसरा नं0-25 के अन्तर्गत कुल रकबा-16.00 एकड़ गैरमजबूत मालिक किरम सरती कदीम भूमि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

2. स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जाएगी।

3. अन्य शर्तें खास महाल मैनुअल के प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत मान्य होंगे।

4. आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-  
(सुशील कुमार),

निदेशक, मू-अर्जन-सह-अपर सचिव।

(6)/रा0, पटना-15, दिनांक-

जापांक-06/खा0 म0 नालन्दा-45/2020-

प्रतिलिपि:-समाहर्ता, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मूल अमिलेख सं0-04/2019-20 को संलग्न कर लौटाया जा रहा है।

ह0/-

(सुशील कुमार),

निदेशक, मू-अर्जन-सह-अपर सचिव।

4013  
3/3/21

E:\2021\Bihar\adesh\Office.doc

ज्ञापक-06/खा0 म0 नालन्दा-45/2020-

(6)/रा0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:-आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को उनके पत्रांक-374/रा0, दि0-14.06.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(सुशील कुमार),


निदेशक, मू-अर्जन-सह-अपर सचिव।

ज्ञापक-06/खा0 म0 नालन्दा-45/2020-

798

(6)/रा0, पटना-15, दिनांक-22-07-

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(सुशील कुमार),

निदेशक, मू-अर्जन-सह-अपर सचिव।


बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापक :-वन भूमि- 29/2020 58269 प0व0ज0प0, पटना-15, दिनांक 30/07/2020

प्रतिलिपि :-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) बिहार; पटना/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/अपर प्रधान मुख्य संरक्षक(कैम्पा)-सह-नौडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बिहार./सभी मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सभी वन संरक्षक, बिहार/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Arjun Jethva*  
*26/7/2020*

  
(राम नरस झा)  
उप परामर्शी

Das See  
1/08/2021

73

राजस्व

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अवध/श.पं.  
9/8/2-21

नालन्दा-06/खा0 म0 नालन्दा-45/2020  
विद्यार्थी शरीफ

सेवा में 0 JUL 2021


महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हकदारी),  
वीरगंज, पटना।  
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

(6)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....



अनौपचारिक रूप से परामर्शित

11/8



विषय :- मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-02.07.2021 के मद संख्या-09 में दी गई स्वीकृति के आलोक में गंगा जल उद्वह योजना के तहत पेय जलापूर्ति के लिए Reservoir निर्माण हेतु वन विभाग की अधिग्रहित भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि के अंश भाग नालन्दा जिलान्तर्गत अंचल-गिरियक के मौजा-महम्मदपुर, थाना नं0-348, खाता नं0-69, खेसरा नं0-25 के अन्तर्गत कुल रकबा-16.00 एकड़ गैरमजरूआ मालिक किस्म परती कदीम भूमि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति।

- स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जाएगी।
- अन्य शर्तें खास महाल मैनुअल के प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत मान्य होंगे।
- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-  
(सुशील कुमार),

निदेशक, भू-अर्जन-सह-अपर सचिव।

ज्ञापक-06/खा0 म0 नालन्दा-45/2020- 798 (6)/रा0, पटना-15, दिनांक- 27-07-21  
प्रतिलिपि:-समाहर्ता, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मूल अभिलेख सं0-04/2019-20 को संलग्न कर लौटाया जा रहा है।

(सुशील कुमार),

निदेशक, भू-अर्जन-सह-अपर सचिव।

प्रतिलिपि:- अ.अ. विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- कार्य-अभिज्ञता सिंचाई प्रमंडल विद्यार्थी शरीफ/अनुसंधान/सिंचाई सुधार/उपकरण/संरचना एवं अन्य प्रमंडल एवं नालन्दा वन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बिहार सरकार

कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ  
अरण्य विहार, सिपाह, (पटना-राँची रोड वाईपास) थाना-दीपनगर, बिहारशरीफ-803216

ज्ञापांक ...3981... दिनांक ...07/08.../2021

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बिहारशरीफ को इस कार्यालय के पत्रांक 3813 दिनांक 02.08.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। नालन्दा जिलान्तर्गत अंचल-गिरियक के मौजा-महमदपुर, थाना नम्बर-348, खाता संख्या-69, खेसरा संख्या-25 अन्तर्गत कुल रकवा 16 एकड़ गैर-मजरूआ मालिक, किस्म-परती, कदिम भूमि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को स्थानान्तरण की स्वीकृति के आलोक में उक्त भूमि विवाद रहित अतिक्रमण मुक्त कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में दाखिल-खारिज (Mutation) कराते हुए अंचलाधिकारी, गिरियक से अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब समर्पित करने व कृपा करेंगे।



वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।



नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ,  
(जिला राजस्व शाखा)



संचिका संख्या...../पत्रांक...20/6...../रा0, दिनांक...11/9/2020.....

प्रेषक,

समाहर्ता,  
नालन्दा।

सेवा में,

सरकार के संयुक्त सचिव,  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय :-

नालन्दा जिलान्तर्गत अंचल-गिरियक के मौजा-महम्मदपुर, थाना नं0-348 के खाता नं0-69 खेसरा नं0-25 के अन्तर्गत कुल रकवा 16.00 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निःशुल्क भूमि हस्तांतरण के संबंध में।

प्रसंग :-

आपका पत्रांक-957(6), दिनांक-06.07.2020 एवं इस कार्यालय के पत्रांक-1908/रा0, दिनांक-01.09.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि नालन्दा जिलान्तर्गत अंचल-गिरियक के मौजा-महम्मदपुर, थाना नं0-348 के खाता नं0-69 खेसरा नं0-25 के अन्तर्गत कुल 16.00 एकड़ गैरमजरूआ मालिक किस्म परती कदीम भूमि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित है। यह प्रस्तावित भूमि सैरात, शमशान, कब्रिस्तान, जलस्त्रोत, न्यायालयीय विवाद एवं अतिक्रमण इत्यादि से मुक्त है। साथ ही हल्का में उपलब्ध जमाबंदी पंजी में वर्णित भूमि की जमाबंदी किसी के नाम से कायम नहीं है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, गिरियक के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-486 दिनांक-04.09.2020 की छायाप्रति संलग्न की जाती है।

अनु0:-यथोपरि।

प्रभारी पदाधिकारी,  
जिला राजस्व शाखा, नालन्दा।

अपर समाहर्ता,  
नालन्दा।

विश्वासभाजन,

सम्मूहसी,  
नालन्दा।

नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरी  
(जिला भू-अर्जन शाखा)

पत्रांक १५८ / मू०अ०,

दिनांक १९/०४/२०२०

प्रेषक,

समाहर्ता,  
नालन्दा।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ।

विषय :-

नालन्दा जिलान्तर्गत गंगाजल उद्वह योजना के तहत गिरियक अंचल के मौजा-घोड़ा कटोरा में पेय जलापूर्ति के लिए Reservoir के निर्माण हेतु वन (संरक्षण), अधिनियम-१९८० के तहत ३६.०४२५२ हे० अपयोजन के समतुल्य गैर वनभूमि के संबंध में।

प्रसंग :-

आपका पत्रांक-१८७७/अ.प्र.लि, दिनांक-११.०४.२०२०

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र द्वारा नालन्दा जिलान्तर्गत गंगाजल उद्वह योजना के तहत गिरियक अंचल के मौजा-घोड़ा कटोरा में पेय जलापूर्ति के लिए Reservoir के निर्माण हेतु वन (संरक्षण), अधिनियम-१९८० के तहत अपयोजन के समतुल्य गैर वनभूमि का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में मौजा-नैकपुर, मरसुआ एवं कान्दोपुर के चयनित भूमि पर आपत्ति प्रकट की गई थी।

क्र	अंचल	मौजा/थाना नं०	रकबा (एकड़ में)	आपत्ति रकबा (ए०)	आपत्ति	निराकरण
१	राजगीर	नैकपुर/४८६	५.००	५.००	प्रस्तावित भूमि पर विद्यालय की चाहरदिवारी है। ग्रामीणों द्वारा भूमि के बीच से पगडंडी के रूप में उपयोग किया जा रहा है।	इस भूमि के समतुल्य दूसरे स्थान पर भूमि उपलब्ध करा दी गई है।
२	वन	मरसुआ/३८२	२.१८	२.१८	भूमि नदी के किनारे रहने के कारण वरसात के दिनों में जलमगन हो जाने की आशंका है।	
३	गिरियक	कान्दोपुर/३६०	२४.१७	०.८४५	इस भूमि पर कुछ हिस्से पर एक विद्यालय एवं कृषि विभाग का एक गोदाम है तथा प्लॉट के बीचों-बीच आवागमन हेतु पक्का रास्ता निर्मित है।	

आपत्ति अन्तर्गत कुल रकबा ८.०२५ एकड़ भूमि गिरियक अंचल अन्तर्गत मौजा-महम्मदपुर थाना नं०-३४८ में पूर्व से दिये गये ७.९७५ के अतिरिक्त दिया जा रहा है कुल रकबा १६ एकड़ का नक्शा GPS Reading सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। प्रस्तावित भूमि का हस्तान्तरण हेतु अभिलेख पत्रांक-१०४१/रा० दिनांक-१३.०४.२०२० के माध्यम से आयुक्त पटना प्रमण्ड, पटना को भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति सरकार स्तर से दी जानी है। हस्तान्तरण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन करारक दखल-कब्जा दे दिया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

विश्वासभाजन

समाहर्ता,  
नालन्दा।

बिहार सरकार  
समाहरणालय, किशनगंज  
किशनगंज - 855107  
(जिला राजस्व प्रशाखा)

दूरभाष 06456-222530 (कार्यालय)  
06456-225480 (कार्यालय)  
06456-222535 (आवास)  
06456-222626 (फैक्स)  
Email : dm-kishanganj.bih@nic.in

पत्रांक...../जि0रा0, किशनगंज दिनांक- वीं मई, 2020 ई0

प्रेषक,

आदित्य प्रकाश, भा0प्र0से0  
जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता,  
किशनगंज।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय :-

नालन्दा जिलान्तर्गत गंगा जल उद्वह योजना के तहत गिरियक अंचल के मौजा घोड़ा-कटोरा में पेय जलापूर्ति के लिये Reservoir के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन हेतु 24.17 हे0 भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित करने के संबंध में।

प्रसंग ::

इस कार्यालय का आदेश झापांक 185/जि0रा0, दिनांक 28.01.2016 एवं कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ का पत्रांक 578, दिनांक 11.05.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के क्रम में कहना है कि कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ के उक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि गंगा जल उद्वह योजना के तहत गिरियक अंचल के मौजा घोड़ा-कटोरा में पेय जलापूर्ति के लिये Reservoir के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन हेतु 24.17 हे0 भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित किया जाना है। इस संबंध में उनके द्वारा प्रस्ताव दिया गया है कि किशनगंज जिलान्तर्गत दिघलबैंक के मौजा-लोहागाड़ा एवं टेढ़ागाछ अंचल के मौजा-चिचौड़ा में वन विभाग को हस्तांतरित कुल 146.77 एकड़ भूमि को वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अबतक रक्षित वन क्षेत्र घोषित नहीं किये जाने की स्थिति में गंगा जल उद्वह योजना के तहत अपयोजनार्थ भूमि के समतुल्य 24.17 हे0 भूमि को वन विभाग को हस्तांतरित भूमि के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना का स्वीकृत्यादेश पत्रांक 1227(6)/रा0, दिनांक 31.12.2014 के द्वारा किशनगंज जिलान्तर्गत दिघलबैंक अंचल के मौजा-लोहागाड़ा के थाना सं0-84, खाता सं0-318, खेसरा सं0-1593 एवं 1595 एवं थाना सं0-82, खाता सं0-56, खेसरा सं0-58 की 70.89 एकड़ बिहार सरकार गैरमजरूआ खास भूमि एवं टेढ़ागाछ अंचल के मौजा-चिचौड़ा के थाना सं0-78, खाता सं0-96, खेसरा सं0-390 की 75.83 एकड़ गैरमजरूआ बिहार सरकार भूमि कुल 146.77 एकड़ भूमि को रक्षित वन क्षेत्र घोषित करने हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग को निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण की प्राप्त स्वीकृति के आलोक में इस कार्यालय के आदेश संख्या-185/जि0रा0, दिनांक 28.01.2016 के द्वारा उक्त विवरण की कुल 146.77 एकड़ भूमि पर्यावरण एवं वन विभाग बिहार, पटना को निःशुल्क स्थाई रूप से हस्तांतरित किया गया है। कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त हस्तांतरित भूमि को पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा अभीतक रक्षित वन क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है।

अतः अनुरोध है कि वर्णित परिप्रेक्ष्य में किशनगंज जिलान्तर्गत दिघलबैंक अंचल के मौजा-लोहागाड़ा एवं टेढ़ागाछ अंचल के मौजा-चिचौड़ा में पर्यावरण एवं वन विभाग को हस्तांतरित कुल 146.77 एकड़ भूमि के अंतर्गत गंगा जल उद्वह योजना के अपयोजित होने वाली 24.17 हे0 भूमि को समायोजित मानते हुए रक्षित वन

क्षेत्र घोषित करने संबंधी अधिसूचना निर्गत करने हेतु वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध करने की कृपा की जाय।

विश्वसमाजन,

६०१

(आदित्य प्रकाश)

जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता,  
कृषानगंज।

- ज्ञापांक.....५११...../जि०रा०, दिनांक.....१३...../ ०५ / २०२०
- प्रतिलिपि :: कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :: वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया वन प्रमंडल अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :: अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल नालन्दा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :: अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनीटरिंग अंचल ०३ सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :: समाहर्ता, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :: प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :: प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Aditya Prakash  
13/5/2020  
(आदित्य प्रकाश)

जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता,  
कृषानगंज।

विहार सरकार  
सिद्धि एवं भूमि सुधार विभाग

आय क्र-09/12-13 संलग्न कर लौटाया जा रहा है।

दिनांक-15, दिसम्बर

संख्या  
दिनांक

श्री ११ में,

महालेखाकार, विहार (लोक्या एवं हकदारों),  
वीरचन्द्र पटेल भवन, पटना।

द्वारा - त्रित विभाग।

विषय - मन्त्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-09.12.2014 के मद संख्या-24 ने दी गई स्वीकृति के आलाोक में किशनगंज जिले के दिघल तँक अंचल के गौजा-लोहागाढ़ा के थाना सं०-84, खाता सं०-318, खेसरा सं०-1593 एवं 1595 एवं थाना सं०-82, खाता सं०-55, खेसरा सं०-58 की 70.89 एकड़ विहार सरकार गैरगजरूआ खास भूमि (विवरण)-अनुलग्नक-1) तथा देढ़ामाछ अंचल के गौजा-विचौड़ा के थाना सं०-78, खाता सं०-86, खेसरा सं०-390 एवं 397 की 75.88 एकड़ गैरगजरूआ बिहार सरकार भूमि (विवरण)-अनुलग्नक-11), कुल-146.77 एकड़ भूमि को रक्षित वन क्षेत्र घोषित करने हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण।

12/12/14  
47/115  
15/12/14

आदेश : स्वीकृत।

2 स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राज्य एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जाएगी।

3. अन्य शर्तें खास महाल मैनुअल के प्रायधानों एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत मान्य होंगे।

विहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-  
(उमेश सिंह),  
सरकार के उप सचिव।

निम्नलिखित  
आंक से

नापांक-8/ 21040 किशनगंज-1/14  
प्रतिलिपि-सगाहर्ता, किशनगंज को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पंक्ति। गु.न  
अनिलेख संख्या-09/12-13 संलग्न कर लौटाया जा रहा है। (6)/सं०. भट-11-15, दिनांक-

ह०/-  
(उमेश सिंह),  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक-6/सा0म0 विभाग-1/14

(6)/सा0, पटना-15 दिनांक-

प्रतिनिधि-संयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को उनके कार्यालय फाइल-250-129  
दिनांक-26.10.2013 के पत्र में सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(जगेश सिंह),  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक-6/सा0म0 विभाग-1/14

(6)/सा0, पटना-15 दिनांक-

प्रतिनिधि-प्रधान, सांचे, पंचायत एवं जन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(जगेश सिंह),  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक-6/सा0म0 विभाग-1/14

(6)/सा0, पटना-15 दिनांक-

प्रतिनिधि-प्रधान सचिव, मंत्रालय सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(जगेश सिंह),  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक-6/सा0म0 विभाग-1/14

(6)/सा0, पटना-15 दिनांक-

12.11.13  
प्रतिनिधि-वित्त विभाग, प्रशाखा-8, बिहार, पटना / सचरस विभागीय प्रशाखा-6, नाल  
फाईल, प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(जगेश सिंह),  
सरकार के उप सचिव।

# सि मा हर णा ल थ, कि श न गं ज

(जिला राजस्व प्रशाखा)

आदेश:-

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को स्वीकृत/प्रमाणित पत्रांक 1271/9/1/2014 दिनांक 31.12.2014 को वन में परिपत्रित की शर्तक दिनांक-09.12.2014 को मू संख्या-24 में दी गई स्वीकृति के आलोक में किशनगंज जिले के दिघलबैंक अंचल के भोजा-लोहागाछा के खाना सं०-84, खाता सं०-318, खेसरा सं०-1593 एवं 1595 एवं खाना सं०-82, खाता सं०-55, खेसरा सं०-58 की 70.89 एकड़ बिहार सरकार गैरमजकूआ खास भूमि (विचरणी-अनुलग्नक-1) टेढ़ागाछ अंचल के भोजा-दिघलीडा के खाना सं०-78, खाता सं०-96, खेसरा सं०-390 एवं 397 की 75.88 एकड़ गैरमजकूआ बिहार सरकार भूमि (विचरणी-अनुलग्नक-11), कुल 146.77 एकड़ भूमि को रक्षित वन क्षेत्र घोषित करने हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग को निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदालोक में संलग्न विचरणी (दिघलबैंक अंचल अनुलग्नक-1 एवं टेढ़ागाछ अंचल अनुलग्नक-11) के अनुरूप बिहार सरकार गैरमजकूआ खास भूमि किरम जमीन जंगल/ सरसुआ को विन्नायित शर्तों के अर्थात् पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार पटना को निःशुल्क स्थायी रूप से हस्तांतरित किया जाता है :-

01. जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं वन सुधार विभाग को लौट जायेगी।
02. अन्य शर्तें-खास महाल में अनुअल के प्रावधानों एवं समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत मान्य होंगे।

13/1/16  
 प्रभारी पदाधिकारी,  
 जिला राजस्व प्रशाखा,  
 किशनगंज।  
 अपर समाहर्ता,  
 किशनगंज।  
 ज्ञापकां...I.S.S...जि०रा०, दिनांक...3.9.16/2016

- प्रतिलिपि :: अंचल अधिकारी, टेढ़ागाछ को भू-हस्तांतरण अभिलेख सं०-01/06-07 मूल प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत भूमि की अंचल अमीन से नापी व सीमांकन करा कर अपनी उपस्थिति में वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया-सह-किशनगंज को अविलम्ब हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि :: अंचल अधिकारी, दिघलबैंक को भू-हस्तांतरण अभिलेख सं०-09/12-13 मूल प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत भूमि की अंचल अमीन से नापी व सीमांकन करा कर अपनी उपस्थिति में वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया-सह-किशनगंज को अविलम्ब हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि :: वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया-सह-किशनगंज, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :: अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज/ भूमि सुधार उम समाहर्ता, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :: प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :: प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

12/1/16  
 प्रभारी पदाधिकारी,  
 जिला राजस्व प्रशाखा,  
 किशनगंज।  
 अपर समाहर्ता,  
 किशनगंज।

अनुसूची-2

रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने हेतु बिहार सरकार गैर मजरूआ खास भूमि का हस्तांतरण तालिका

क्र०	अंचल का नाम	मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	हस्तांतरित रकवा (रकवा एकड़ में)	किस्म जमीन
1				318/	1593	13.12	सखुआ
			84	गैर मजरूआ खास	1595	17.81	सखुआ
02	दिघलबैंक	लोहागाड़ा	82	55/	58	39.96	सखुआ
कुल रकवा :-						70.89	

13.11.17  
प्रभारी पदाधिकारी  
जिला राजस्व प्रशाखा  
किशनगंज

13/11/16

अपर संग्रहकर्ता,  
किशनगंज

समाहर्ता,  
किशनगंज।

संयुक्त नंबर - 11

रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने हेतु बिहार सरकार गैर मजरूआ। गारा भूमि का हस्तांतरण तालिका

क्र०	अंचल का नाम	मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	अस्तित्वित रकवा (गारा एकड़ में)	किस्म जमीन
01	देढ़गाछ	चिचौड़ा	78	96 गैर मजरूआ बिहार सरकार	397 390	7.97 67.91 75.88	जंगल सखुआ

कुल रकवा :-

प्रभारी पदाधिकारी।  
जिला रणस्य प्रशाखा  
किशनगंज  
13/3/16

अगर समाहर्ता,  
किशनगंज।

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ

अरण्य विहार, सिपाह, (पटना-रौंजी रोड वाईपास) थाना-दीपनगर, बिहारशरीफ-803216

✉ dfonalandadivision@gmail.com

☎ : 9430890901

☎ : 06112-297121

पत्रांक ...14.16...../अ०

दिनांक .05./...4/.../2022

प्रेषक,

विकास अलहावत, भा०व०से०  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
पटना अंचल, पटना।

विषय :

गंगाजल उद्वह योजना अन्तर्गत पेय जलापूर्ति के लिए Reservoir निर्माण में अपयोजित वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि की अधिसूचना का प्रारूप का प्रेषण।

प्रसंग :

भवदीय ज्ञापांक 529 दिनांक 24.03.2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में माँग की गयी सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भवदीय सेवा में समर्पित की जा रही है।

क्र०	दस्तावेज	अनुलग्नक संख्या
1.	गैर वनभूमि का चौहद्दी सहित नक्शा	01
2.	Latitude/Longitude	
3.	दाखिल-खारिज आदेश	02
4.	Possession प्रमाण-पत्र	03
5.	अतिक्रमण मुक्त/दावारहित प्रमाण-पत्र	04
6.	अधिसूचना प्रारूप	05

अतः भवदीय से अनुरोध है कि अपयोजन के बदले प्राप्त गैर वनभूमि को सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करवाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : I, II, III, IV, V

विश्वासभाजन,


वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

ज्ञापांक ...14116... दिनांक 05 / 04 / 2022

प्रतिलिपि : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार,  
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भवदीय सेवा में समर्पित।

*Jinal*

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।



नोट - इसका यह क्षेत्र ...  
 ...  
 ...

महाराष्ट्र सरकार  
 ...  
 ...  
 ...



10/2/22  
 10/2/22

अप्रमाणित

वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
 नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहार शरीफ

अनु I (b)

4  
 गाजा - महामादपुर  
 शाना नं० 348  
 Scale 16 1/2 मील



POINT NO.	NORTHING	EASTING
1	25.053381	85.509762
2	25.054048	85.509884
3	25.054548	85.509871
4	25.054358	85.509804
5	25.054677	85.509285
6	25.052317	85.507845
7	25.051812	85.507597
8	25.050925	85.507518
9	25.052101	85.507338
10	25.049812	85.507282
11	25.049793	85.508154
12	25.050118	85.508120
13	25.050221	85.508496
14	25.050700	85.508559
15	25.050774	85.508677
16	25.051314	85.508557
17	25.051454	85.508657
18	25.051822	85.509003
19	25.052006	85.509089
20	25.052049	85.509207
21	25.052212	85.509228
22	25.052313	85.509115
23	25.052773	85.509000
24	25.053050	85.509115
25	25.053225	85.509113
26	25.053333	85.509041
27	25.053332	85.509090
28	25.053623	85.509400
29	25.054211	85.509200
30	25.054397	85.509337
31	25.054409	85.509223
32	25.054510	85.509280
33	25.054810	85.509947
34	25.054852	85.510155
35	25.055071	85.510320

चौकड़ी :-  
 उत्तर :- प्लॉट नं० 348  
 दक्षिण :- प्लॉट नं० 347  
 पूरव :- 346, 347, 102, लोडीर  
 पश्चिम :- पंचने नदी

अभिप्रेत  
 वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
 नारायण वन प्रमण्डल, बिहार सरीफ

प्रमाणित पत्र  
 आकार 69 - प्लॉट नं० 348 - 25  
 दिनांक 10/11/2020  
 10/11/2020





बिहार सरकार  
विहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
जमाबंदी प्रजी प्रति

31/90-III (b) 21/08/202

पत्र संख्या : 277	जमाबंदी संख्या : 277
भूमि संख्या : 0	असल का नाम : Giryak
खेती संख्या : 0	तोड़ी संख्या : 0
	संस्था का नाम : ...
	पाना नंबर : 348

परिवर्तन के लिए प्राधिकार	रकम
अद्यताधिकारी गिरियक के आदेशानुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ज्ञापक संख्या- 6/ ख० म० / नालन्दा - 45/2020-796 (6) री० दिनांक 27.7.2021 वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के ज्ञापक संख्या- 582 ई 0 दिनांक 30.7.2021 के आलोक में जमाबंदी कायम किया गया। प्रसंग वन प्रमण्डल पदाधिकारी नालन्दा बिहारशरीफ के पत्रांक 3813 दिनांक 2.8.2021 कार्यपालक अभिव्यक्ति सिचाई प्रमण्डल बिहार शरीफ के पत्रांक 1605 दिनांक 11.8.2021	320

साल से	साल तक	लागत बकाया

ब्लॉक जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल खारिज का विवरण Mutation Cases Not Found !!

यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रति में कोई भी त्रुटि या जानकारी के लिए है तो उसे तुरंत ही सहाय के लिए नहीं किया जा सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति के लिए सन्दर्भित अधिकारी से संपर्क करे।

**अभिप्रमाणित**  
Din  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहार शरीफ

अनु- VII (०)

## POSSESSION CERTIFICATE

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि जिसकी विवरणी निम्नलिखित है, अतिक्रमण मुक्त है एवं दोनों स्थल की भूमि को दाखिल-खारिज करावाकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, राजगीर वन प्रक्षेत्र, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ) द्वारा Possession (कब्जा) में ले लिया गया है।

नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ वनक्षेत्र-राजगीर वन प्रक्षेत्र।

क्र०	गाँव का नाम	खाता नं०	थाना	थाना नं०	क्षेत्रफल (एकड़ में)	खेसरा नं०
1.	नानन्द	727	सिलाव	442	19.75 एकड़	921
2.	महमन्दपुर	69	गिरियक	348	16.00 एकड़	25
					35.75 एकड़	

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।



पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
कार्यालय: वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, राजगीर वन प्रक्षेत्र, राजगीर।

पत्रांक :- 541 दिनांक :- 04/04/2022

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
नालंदा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

विषय:- गंगा जल उद्बह योजना के तहत पेयजलापूर्ति के लिए Reservoir के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजित वनभूमि के बदले मौजा- नानन्द तथा मोहम्मदपुर में उपलब्ध भूमि के संबंध में।

प्रसंग:- भवदीय कार्यालय पत्रांक 5445, दिनांक 25.10.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि राजगीर वन प्रक्षेत्र अन्तर्गत गंगा जल उद्बह योजना के तहत पेयजलापूर्ति के लिए Reservoir के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजित वनभूमि के बदले सिलाव अंचल के मौजा- नानन्द, थाना नं०- 440, खाता सं०- 727, खेसरा- 921 कुल 19.75 एकड़ तथा गिरियक अंचल के मौजा- मोहम्मदपुर, खाता सं०- 69, खेसरा- 25 कुल 16 एकड़ प्राप्त गैर मजरूआ मालिक किस्म परती कदिम भूमि का दाखिल खारिज करवा लिया गया है तथा उक्त भूमि अतिक्रमण मुक्त है, जिसमें कंटीले तार व पीलर की सहायता से घेरान का कार्य पूर्ण हो गया है। उक्त दोनों स्थल दाखिल खारिज करवाकर अपने possession में ले लिया गया है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

विश्वासभाजन

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी,  
राजगीर वन प्रक्षेत्र, राजगीर।

V (a)

## CERTIFICATE

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि जिसकी विवरणी निम्नलिखित है, को कंटीले तार एवं पीलर की सहायता से घेरान कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं उक्त भूमि अद्यतन अतिक्रमण मुक्त है। तथा दोनो स्थलों के संबंध में किसी प्रकार का दावा नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के कार्यालय में अद्यतन अप्राप्त है।

नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ वनक्षेत्र-राजगीर वन प्रक्षेत्र।

क्र०	गाँव का नाम	खाता न०	थाना	थाना न०	क्षेत्रफल (एकड़ में)	खेसरा न०
1.	नानन्द	727	सिलाव	442	19.75 एकड़	921
2.	महमन्दपुर	69	गिरियक	348	16.00 एकड़	25
					35.75 एकड़	

21/11/11  
प्रमण्डल पदाधिकारी,  
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।  
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

अनु IV (2)

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ।

E-mail ID- irrigationdivbiharsharif@gmail.com

Phone No. 7463889411

पत्रांक- 659

बिहारशरीफ,

दिनांक 23/03/2022

श्री दासदास  
सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी  
नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ।

विषय:-

गंगाजल आपूर्ति योजना अन्तर्गत गिरियक स्थित राजगीर जलाशय के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि विभाग को निःशुल्क हस्तांतरण के घेरान पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में।

प्रसंग:-


भवदीय का पत्रांक 995/अ0 दिनांक 03.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि मौजा-महम्मदपुर अंचल-गिरियक, थाना नं0-348, खाता सं0-69 एवं खेसरा सं0-25 के अन्तर्गत कुल 16 एकड़ गैरमंजूरुआ मालिक किस्म परती कदीम भूमि, जो भूमि वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को हस्तांतरित किया गया है का घेराबन्दी (Fencing) कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

यह आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता  
सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ।





Schedule I - Form No. 11A  
S. & S. Manual, 1927, Form No. 73 (Lower half)

Continuous Chattran

Yajpana  
नाम  
वर्ग  
Thana  
नाम

Distric  
नाम  
Tehsil no.  
नाम  
Local  
नाम

1927/28

Thana no.  
नाम no.

28

Name of proprietor and number in proprietary khawat  
नाम और नंबर प्रोपर्टी खवात में

Name of tenant holder and number in tenant-holder's khawat, if any  
नाम और नंबर कृषक-धरता खवात में, यदि कोई हो

क्र. सं.	नाम	वर्ग	नाम	वर्ग
392	1. श्री. वि. वि. वि.	प्रोप.	श्री. वि. वि. वि.	प्रोप.
	2. श्री. वि. वि.	कृषक	श्री. वि. वि.	कृषक
	3. श्री. वि. वि.	कृषक	श्री. वि. वि.	कृषक
	4. श्री. वि. वि.	कृषक	श्री. वि. वि.	कृषक
	5. श्री. वि. वि.	कृषक	श्री. वि. वि.	कृषक
	6. श्री. वि. वि.	कृषक	श्री. वि. वि.	कृषक
	7. श्री. वि. वि.	कृषक	श्री. वि. वि.	कृषक
	8. श्री. वि. वि.	कृषक	श्री. वि. वि.	कृषक
	9. श्री. वि. वि.	कृषक	श्री. वि. वि.	कृषक
	10. श्री. वि. वि.	कृषक	श्री. वि. वि.	कृषक
	11. श्री. वि. वि.	कृषक	श्री. वि. वि.	कृषक
	12. श्री. वि. वि.	कृषक	श्री. वि. वि.	कृषक
	13. श्री. वि. वि.	कृषक	श्री. वि. वि.	कृषक
	14. श्री. वि. वि.	कृषक	श्री. वि. वि.	कृषक
	15. श्री. वि. वि.	कृषक	श्री. वि. वि.	कृषक
	16. श्री. वि. वि.	कृषक	श्री. वि. वि.	कृषक
	17. श्री. वि. वि.	कृषक	श्री. वि. वि.	कृषक
	18. श्री. वि. वि.	कृषक	श्री. वि. वि.	कृषक
	19. श्री. वि. वि.	कृषक	श्री. वि. वि.	कृषक
	20. श्री. वि. वि.	कृषक	श्री. वि. वि.	कृषक

Handwritten signature  
C.O.  
Dighalbank  
21/01/21



I have to say a true copy of the  
 original is being furnished  
 No. 15118 of 1902  
 P.O. No. 15118  
 15 MAR 1902  
 [Signature]

3	६० निज ६० दुकान	दुकान पत्नी	५२	५२
५०	६० निज ६० दुकान	दुकान पत्नी	५०	५०
५१		दुकान पत्नी	५१	५१
५२		दुकान पत्नी	५२	५२
५३		दुकान पत्नी	५३	५३
५४		दुकान पत्नी	५४	५४
५५		दुकान पत्नी	५५	५५
५६		दुकान पत्नी	५६	५६
५७		दुकान पत्नी	५७	५७
५८		दुकान पत्नी	५८	५८
५९		दुकान पत्नी	५९	५९
६०		दुकान पत्नी	६०	६०



G.P. January 50.

[Signature]  
 C.O.  
 Dighalbank  
 21/1/02




## भूमि का चौहदी

क्र० सं०	विभाग का नाम	मौजा	थाना नं०	खाता सं०	खेसरा नं०	रकबा (एकड़)	चौहदी
1	वन विभाग, बिहार सरकार	चिचौड़ा	78	96/ गैरमजरूआ बिहार सरकार	397 390	7.97 67.91	उ०- नेपाल सीमा द०- प्रमाण ठाकुर व गोपाल पं० पु०- नदी किशुनी प०- डोका व सीताराम सिंह
कुल :-						<b>75.88</b>	
2	वन विभाग, बिहार सरकार	लौहागाड़ा	82	55/ गैरमजरूआ खास	58	39.96	उ०- झाड़ बस्ती से एस०एस०बी० कैम्प जानेवाला सड़क एवं किसान का निजी जमीन। द०- कटहलबाड़ी ग्राम पु०- झाड़ बस्ती ग्राम प०- मोहम्मद चेतावली बगैरह का निजी जमीन।
			84	318/ गैरमजरूआ खास	1593 1595	13.12 <u>17.81</u> <b>30.93</b>	उ०- एस०एस०बी० कैम्प एवं सड़क तथा मंगल साह का निजी जमीन। द०- मो० मोहर अली, मो० वशीर बगैरह का निजी जमीन पु०- मो० चेतावली बगैरह का निजी जमीन। प०- किसान का निजी जमीन एवं इण्डो-नेपाल सड़क।
कुल :-						<b>70.89</b>	
कुल योग :-						<b>146.77</b>	

  
 वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
 अररिया वन प्रमंडल, अररिया।  


गशाहूर नाम विन्दीरा  
 भान नम्बर ७२८ शलिस भाना  
 भाना नम्बर ७२९ शलिस भाना  
 (दिवाली) विधान भाना (दिवाली)  
 जिला (विधान) विधान जिला  
 विधान १६३३ की मीटर  
 क्षेत्र १२५२ - २६ २६ मी



क्षेत्र: २६३६३ नेपाल  
 विभाग: प्रमाणन विभाग नजीपाल में  
 स्थल: नदी किस्ती  
 पत्र: डाका व कीर्ति राम विहार

रकबा:-

खेसरी का क्षेत्र व कुल रकबा	काला	10250.35 बीघा
जंगल का क्षेत्र	हरा	7750.54 बीघा
नदी में विहित जंगल की भूमी	बाल	2450.81 बीघा

खेत नम्बर १७ खेसरी नं० ३१० का क्षेत्रफल ११२०७.६७ बीघा के अन्तर्गत से  
 अन्तर्गत १७ अरबों भाग से २५५०.०५ बीघा भूमी नदी में विहित क्षेत्र है  
 खेसरी नम्बर ३१७ के कुल क्षेत्रफल ८१०७५.६७ बीघा के अन्तर्गत से १७३६  
 अरबों भाग से नदी में विहित क्षेत्र है


APM 25/6/93  
 23/06/12  
 परीठ ३१ सामन्ती  
 सहा  
 अंतर्गत आदिवासी  
 देवागाव

APM 23/06/12  
 परीठ ३१ सामन्ती  
 सहा  
 अंतर्गत आदिवासी  
 देवागाव

APM 23/06/12  
 परीठ ३१ सामन्ती  
 सहा  
 अंतर्गत आदिवासी  
 देवागाव


D. F. O  
 ABARIA





जिला	किशनगढ़
मिना नाम	लोहगढ़ा
Miuta Name	Lohagara No 84
भागा नंबर	८४
संख्या	
सर्वेक्षण वर्ष	
सर्वेक्षण क्षेत्र	
सर्वेक्षण विभाग	
परमना	पं. लोहगढ़ा सिविलिया
दि.	१९५० - १९५१ ई.

POINT NUMBER	LATITUDE	LONGITUDE
1	26 42533706°	87 77796448°
2	26 42514801°	87 77773023°
3	26 42485938°	87 77726579°
4	26 42483777°	87 77642259°
5	26 42498737°	87 77632931°
6	26 42479236°	87 77596388°
7	26 42456505°	87 77577451°
8	26 42444499°	87 77527274°
9	26 42433369°	87 77492793°
10	26 42435311°	87 77452391°
11	26 42493311°	87 77453079°
12	26 42626825°	87 77427029°
13	26 42671470°	87 77385613°
14	26 42680803°	87 77317197°
15	26 42610569°	87 77264181°
16	26 42647943°	87 77223119°
17	26 42679206°	87 77179689°
18	26 42625685°	87 77164039°
19	26 42663722°	87 77167895°
20	26 42673674°	87 77171894°
21	26 4272128°	87 77230057°
22	26 42742042°	87 77311765°
23	26 42731495°	87 77340942°
24	26 42735045°	87 77363312°
25	26 42713213°	87 77459657°
26	26 42690113°	87 77487237°
27	26 42681043°	87 77515425°
28	26 42669676°	87 77534623°
29	26 42644918°	87 77549085°
30	26 42643470°	87 77554733°
31	26 426239399°	87 77670452°
32	26 42614671°	87 77715177°



खता संख्या	खेती संख्या	खता (अ)
318	1593	13-12
	1595	17-81

110. 4/5

2. 2/1/1

Handwritten signatures and stamps, including 'D. F. O. BARIA' and other official markings.